

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 2(10)नविवि/II/2005

जयपुर, दिनांक: 23 FEB 2022

आदेश

श्री मृणाल जोशी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा अध्ययन अवकाश पूर्ण कर नगरीय विकास विभाग में स्वयं की उपस्थिति प्रस्तुत की गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्री मृणाल जोशी का पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से डी.एम.आई.सी. परियोजना के अन्तर्गत रीको (RDA) विभाग, जयपुर में एतद्द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद पर किया जाता है।

श्री जोशी अविलम्ब स्वयं की उपस्थिति रीको (RDA) विभाग, जयपुर में प्रस्तुत करते हुए इस विभाग को भी सूचित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रीको (RDA) विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय